प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 25-01-2026 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. महिला से दुष्कर्म में सहयोग करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना मैनाठेरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.10.2025 को वादिनी निवासी थाना कुन्दरकी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी को कार में बैठाकर मौ0 आमिर के घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर देने तथा अभियुक्त उरूज आलम द्वारा वादिनी के साथ जबरन दुष्कर्म करने तथा जबरन निकाह नामा पर हस्ताक्षर कराने व वादिनी के परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0- 208/2025 धारा 87/127(2)/351(3) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 25.01.2026 को निरीक्षक श्री अजय कुमार थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त मौ0 सलीम पुत्र बाबू निवासी कोट गर्बी थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2. अवैध देशी बन्दूक के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, थाना मैनाठेरः-

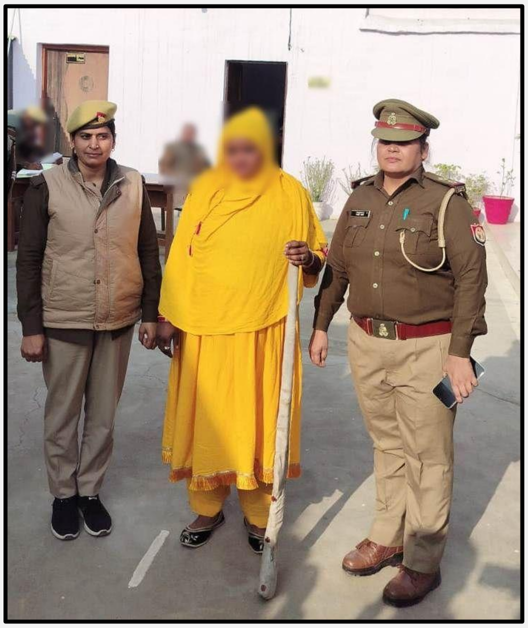

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध शस्त्र के निर्माण/तस्करी, के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 25.01.2026 को उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही महिला पुलिस बल के गश्त/चैकिगं के दौरान अभियुक्ता नेहा पत्नी रहीश आलम निवासी ताहरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को अवैध एक अदद देशी बन्दुक नाजायज 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध थाना मैनाठेर पर अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 21/2026 धारा-3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3. नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, थाना मैनाठेरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2026 को वादी निवासी थाना मैनाठेर क्षेत्रान्तर्गत ने अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0- 16/2026 धारा 137(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही, बयान, चिकित्सा प्रपत्र,बरामदी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग में 64(2)(M)/351(3) बी.एन.एस. व 5L/6 पोक्सो एक्ट 3(2)(V) SC/ST एक्ट व 66E / 67B IT Act की बढोत्तरी की गई। आज दिनांक 25.01.2026 को उ0नि0 श्री विकास सिंह थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के प्रकाश मे आये अभियुक्त साद पुत्र मोहसिन ग्राम टांडा भनेडा थाना मंगलोर हरिद्वार उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

4. जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 16 व्यक्तियों व 01 वारंटी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग में की गयी कार्यवाही का विवरणः-
थाना कांठ-03, थाना सोनकपुर-06, थाना बिलारी-03, थाना मैनाठेर-01, थाना मझोला-03
वारंटीः-
थाना मैनाठेर-01